झारखंड उच्च न्यायालय, रांची आपराधिक विविध याचिका संख्या 370/2021

1. पीयूष कुमार डे, उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र राधारमण डे, निवासी, ग्राम- धोबचंद्र, डाकघर- जयपुरा, थाना- बहरागोड़ा, जिला- पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)

2. सुबोध कुमार ओझा, उम्र लगभग 65 वर्ष वर्ष, पुत्र बृंदाबन ओझा, निवासी ग्राम-मोहनपुर, डाकघर-बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) ।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. राजेश कुमार साहू, शंभू साहू के पुत्र, बीडीओ बहरागोड़ा, निवासी बहरागोड़ा, डाकघर+थाना-बहरागोड़ा, जिला-सिंहभूम पूर्वी, झारखंड.

....विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री के.एस. नंदा, एडवोकेट

राज्य की ओर से : श्री पी.डी. अग्रवाल, विशेष पीपी

<u>प्रस्तुत</u> माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, साथ ही विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला द्वारा बहरागोड़ा पीएस मामला संख्या 10/2020 के संबंध में पारित दिनांक 07.08.2020 के आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जहां के तहत, विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र से भिन्न होकर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास भारतीय खाद्य निगम का चिह्न लगा 460 बोरे थे, जिनमें गेहूं भरा हुआ था, जो उनकी आटा मिल में रखा हुआ था। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने गेहूं व्यापारी को 5,59,000/- रुपये का भुगतान करने के बाद 20.03.2020 को गुलाब चंद बैस से इसे खरीदा था और पुलिस ने जांच के बाद याचिकाकर्ताओं के तर्क को सही पाया और मामले को तथ्यों की गलती बताते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं को परीक्षण के लिए नहीं भेजा। फिर यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही गेहूं एक नियंत्रित वस्तु नहीं है, और बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध है और इसे खुले बाजार से खरीदा जा सकता है और गेहूं जैसे खाद्यान्न पर कोई जीएसटी नहीं लगता है; विद्वान एसडीजेएम, घाटशिला ने बिना विवेक के, नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के किसी भी आरोप के बिना, आवश्यक वस्तु अधिनियम की

धारा ७ के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून में टिकने योग्य नहीं है, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

- 4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि किसी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है और आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि विद्वान एसडीजेएम, घाटिशला ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 11 के उल्लंघन में अपराध का संज्ञान लेकर गंभीर अवैधता की है, क्योंकि किसी भी लोक सेवक या किसी पीड़ित व्यक्ति या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा कोई लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाले किसी भी तथ्य का खुलासा हो।
- 5. बार में दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत परिकल्पित दंड केवल तभी लगाया जा सकता है, जब उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन होता है और धारा 7(2) के तहत दंड तब लगाया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति जिसे धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के तहत निर्देश दिया गया है, निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, लेकिन जैसा कि विद्वान विशेष पी.पी. द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही आरोप पत्र में और न ही इस मामले में दाखिल जवाबी हलफनामे में धारा 3 के तहत संबंधित आदेश का खुलासा किया गया है, जिसके उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत जुर्माना लगाया जाना था और न ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (4) के खंड (बी) के तहत दिए गए निर्देश का पालन न करने का कोई आरोप है। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सही माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।
- 6. तदनुसार, विद्वान एसडीजेएम, घाटिशला द्वारा बहरागोड़ा थाना कांड संख्या 10/2020 के संबंध में पारित दिनांक 07.08.2020 के आदेश सिहत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही कानून में संधारणीय नहीं है; इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए, विद्वान एसडीजेएम, घाटिशला द्वारा बहरागोड़ा थाना कांड संख्या 10/2020 के संबंध में पारित दिनांक 07.08.2020 के आदेश सिहत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

7. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची दिनांक, 3 अप्रैल, 2024 स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।